न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ. इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 03/2024
GCMS रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/39

प्रार्थी :–		अप्रार्थी :–
राज्य सरकार, जरिये प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी, बांसवाडा	बनाम	श्री मांगीलाल/ कन्हैयालाल, उचित मूल्य दुकानदार, नगर परिषद, बांसवाडा, वार्ड नं.25 तहसील बांसवाडा जिला बांसवाडा

उपस्थित – विभागीय पैरोकार

श्री राजेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952

दिनांक :– 09–07–2025

प्रवर्तन निरीक्षक, द्वारा जिला रसद अधिकारी बांसवाडा की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग अधिनियम 1952 कर निवेदन किया गया कि मांगीलाल/ कन्हैयालाल, उचित मूल्य दुकानदार नगर परिषद बांसवाडा वार्ड नंबर 25 (पोस कोड 17861) तहसील बांसवाडा की जांच दिनांक 20.02.2019 को तात्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक कुशलगढ द्वारा की गई। वक्त मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर गोदाम में 388.91 क्विं. गेहू वितरण/ हस्तांतरण नही कर खाद्यान्न खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया। अप्रार्थी डीलर मांगीलाल/ कन्हैयालाल के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 715/1995 को निलंबित किया जाकर प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 17.03.2020 द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली, बांसवाडा में दर्ज करवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:21 IST
Reason: SelfAttested

इस प्रकार मांगीलाल/ कन्हैयालाल, उचित मूल्य दुकानदार नगर परिषद बांसवाडा वार्ड नंबर 25 (पोस कोड 17861) तहसील बांसवाडा द्वारा कुल 388.91 क्वि. गेहूँ का गबन किया गया जिसकी कीमत 27 रू. प्रति किग्रा. की दर से 1050057/– रू. बनती है।

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

अप्रार्थी डीलर मांगीलाल/ कन्हैयालाल, उचित मूल्य दुकानदार नगर परिषद बांसवाडा वार्ड नंबर 25 (पोस कोड 17861) तहसील बांसवाडा द्वारा कुल 388.91 क्वि. गेहूँ का गबन किया गया जिसकी कीमत 27 रू. प्रति किग्रा. की दर से 1050057/–रु. वसूली किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर बाकीदार को दिनांक 12.07.2024 को नोटिस मय धारा 4 जनमांग अधिनियम 1952 के तहत प्रमाण पत्र रुपया 1050057/–रु वसूली का जारी किया गया। अप्रार्थी की ओर से दिनांक 04.10.2024 को श्री राजेन्द्र पाटीदार अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र पेश किया। दिनांक 19.12.2024 को अप्रार्थी की ओर से प्रकरण में जवाब पेश किया गया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया कि प्रार्थी के विरुद्ध रुपये 10,57,057/– बकाया होने पर प्रमाण पत्र धारा 4 राजस्थान पब्लिक रिकवरी एक्ट 1952 के तहत प्रस्तुत हुआ है, जिसमें उक्त रुपये के सम्बन्ध में आप श्रीमान् के द्वारा जारी फार्म नं. 3 नोटिस अन्तर्गत धारा 6 पीडीआर एक्ट 1952 दिनांक 11.09.2024 का जारी कर आगामी दिनांक 04.10.2024 तक उक्त राशि का भुगतान करने हेतु नियत किया है। जिसके सम्बन्ध मे निवेदन है कि प्रार्थी के विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज किया गया है वह वर्तमान में न्यायालय मे विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा अभी तक दोषसिद्ध नही किया गया है। प्रार्थी ने किसी भी प्रकार से राशन सामग्री का गबन नही किया है, जबकि प्रार्थी ने सम्पूर्ण राशन सामग्री का वितरण कर दिया है, इसलिए प्रार्थी के विरुद्ध धारा 4 राजस्थान पब्लिक रिकवरी एक्ट 1952 के तहत कार्यवाही किया जाना न्यायोचित नही है। प्रार्थी के विरुद्ध अपनाई गई कार्यवाही को ड्रॉप किये जाने की कृपा करे।

दिनांक 02.07.2025 को उभय पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओ को दौहराते हुए कथन किया कि मांगीलाल/ कन्हैयालाल, उचित मूल्य दुकानदार नगर परिषद बांसवाडा वार्ड नंबर 25 (पोस कोड 17861) तहसील बांसवाडा की जांच दिनांक 20.02.2019 को तात्कालीन प्रवर्तन निरीक्षक कुशलमल द्वारा की गई। वक्त मौका जांच के दौरान भौतिक सत्यापन किये जाने पर गोदाम में 388.91 क्विं. गेहू वितरण/ हस्तांतरण नही कर खयानत खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया। मांगीलाल/ कन्हैयालाल को माह सितम्बर 2016 से फरवरी 2019 तक नगर परिषद वार्ड नं. 25 की उचित मूल्य की दुकान के लिये कुल 2575.00 क्विं. गेहू आवंटित किया गया, उसके द्वारा इस दौरान 2186.

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

09 क्विं गेहू वितरण किया गया। अब उसके पास 388.91 क्विं गेहू अवशेष रहना चाहिये था जो उक्त डीलर के पास नही था, न ही अप्रार्थी द्वारा उक्त 388.91 क्विं गेहू इस दुकान के वितरण कार्य हेतु अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार को हस्तांतरित किये गये। इस प्रकार मांगीलाल/ कन्हैयालाल द्वारा 388.91 क्विं गेहूं उपभोक्ताओ में वितरण नही कर उसका दुरुपयोग एवं गबन किया है। अप्रार्थी डीलर मांगीलाल/ कन्हैयालाल के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 715/1995 को निलंबित किया जाकर प्रकरण में सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 17.03.2020 द्वारा प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया। डीलर के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना कोतवाली, बांसवाडा में दर्ज करवाई गई।

अप्रार्थी डीलर मांगीलाल/ कन्हैयालाल, उचित मूल्य दुकानदार नगर परिषद बांसवाडा वार्ड नंबर 25 (पोस कोड 17861) तहसील बांसवाडा द्वारा कुल 388.91 क्वि. गेहूँ का गबन किया गया जिसकी कीमत 27 रू. प्रति किग्रा. की दर से 1050057/–रु. वसूली किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जनमांग वसूली अधिनियम 1952 स्वीकार करने निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान कथन किया कि अप्रार्थी के विरुद्ध जो प्रकरण दर्ज किया गया है वह वर्तमान में न्यायालय मे विचाराधीन है तथा न्यायालय द्वारा अभी तक दोषसिद्ध नही किया गया है। प्रार्थी के विरुद्ध अपनाई गई कार्यवाही को निरस्त किये जाने की कृपा करे।

हमने उभय पक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली के अध्ययन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी डीलर श्री मांगीलाल/ कन्हैयालाल, उचित मूल्य दुकानदार नगर परिषद बांसवाडा वार्ड नंबर 25 (पोस कोड 17861) तहसील बांसवाडा द्वारा कुल 388.91 क्विं. गेहूँ का गबन किया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 8, 9, 11, 15, 17सी व 18 का उल्लंघन किया जाना पाया गया है। अप्रार्थी के विरुद्ध विभागीय प्रकरण दर्ज किया जाकर डीलर का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। डीलर के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। विभागीय प्रकरण में नियमानुसार सुनवाई की जाकर पाई गई अनियमितताओं के आधार पर निर्णय किया जाकर जिला रसद

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:21 IST
Reason: Self Attested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

कार्यालय बांसवाडा द्वारा उनके प्रकरण सं. 23/2018 एवं 153/2019 में निर्णय दिनांक 17.03.2020 द्वारा अप्रार्थी डीलर का प्राधिकार पत्र संख्या 715/1995 निरस्त किया है।

अप्रार्थी डीलर श्री मांगीलाल/ कन्हैयालाल, उचित मूल्य दुकानदार नगर परिषद बांसवाडा वार्ड नंबर 25 (पोस कोड 17861) तहसील बांसवाडा द्वारा कुल 388.91 क्विं. गेहूँ खुर्द बुर्द किया जाना पाया गया है। जिससे राजकीय हानि होना पाया जाता है। इस प्रकार कुल 388.91 क्विं. गेहूँ की राशि विभाग अनुसार 1050057/–रु. बनती है तथा उसकी वसूली हेतु राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत मांग कायम कर वसूल किया जाना उचित पाता हुं।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी श्री मांगीलाल/ कन्हैयालाल, उचित मूल्य दुकानदार नगर परिषद बांसवाडा वार्ड नंबर 25 (पोस कोड 17861) तहसील बांसवाडा से राजस्थान जनमांग अधिनियम 1952 के तहत 388.91 क्विं. गेहु, की राशि विभाग अनुसार 1050057/–रु अक्षरे रुपया दस लाख पचास हजार सत्तावन मात्र की वसूली के आदेश दिये जाते है। निर्णय की एक प्रति जिला राजस्व लेखाकार को नियमानुसार अग्रीम कार्यवाही हेतु दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 09–07–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर,
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.10.31 11:20:21 IST
Reason: SelfAttested